

28/10/2024



राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली पेशा हुई। मधिवक्ता मपीलोट अप।

रेसपो. बावजूद तापील अनुपस्थित।

मधिवक्ता मपीलोट की पत्रावली पर

बहस सुनी गई। मधिवक्ता मपीलोट

PV-0

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मपील नं. 112/2014

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जायी हुए

~~बनवान - विशनापन बनाप मोनी देवी~~
 ने मपील सीजे में मंजूर तर्कों को
 देखाते हुए निवेदन किया कि मधीनलय
 न्यायालय हाथ मपीलाटगण को सुनवाई
 का मनुष्यता मंचल नहीं दिया गया।
 मूल दावा मधीनलय न्यायालय के
 समस्त विचारधीन है उभयपक्ष के हितों
 का निर्धारण दावे के निस्तारण पर
 ही संभव है। मावेदत तलवी एवं
 जबल की स्टेशन पर ही विचारधीन
 का। मर: मपीलाटगण की मपील
 को लीकार फलामा जावे।
 मधिवका मपीलाट की पत्रावली पर
 बटल सुनने एवं उपलब्ध दलारेणर
 का मबलोकन करने पर न्यायालय
 का निष्कर्ष है कि मधीनलय न्यायालय
 हाथ मपीलाधीन मावेदा मपीलाटगण
 की मनुष्यता में पाठित किया गया।
 मूल दावा मधीनलय न्यायालय के समस्त
 विचारधीन है उभयपक्ष के हितों का
 निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर
 ही संभव है। दावे के विचारण रहते
 मपीलाटगण को मौके से बेदखल किया
 जाता है तो मपीलाटगण को मपूलीय
 मति काठित होना संभाव्य है। माप्रमा
 पत्रम इष्टमा एवं सुविधा का मंजूरन




(Handwritten signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर


P.T.O.

अपील नं. 112/2017
बनारस - विधानालय बनारस सोनी देवी

अपीलान्तर्गत के प्लान में प्रतीत होता है। अतः अपीलान्तर्गत
की अपील स्वीकार की जाती है तथा मादेश
दिये जाते हैं कि मूल दावे के विचारधीन
रहते रहेंगे। जो, मादेश किया जाता है कि मौजा
लीलनगर पटवार क्षेत्र भागभर तहसील रामसर
के क्षेत्र खसरा संख्या 342/95 रकबा 67.19 बीघा,
खसरा संख्या 344/95 रकबा 07 बीघा कुल
रकबा 74.19 बीघा भूमि पर नवीन निर्माण
नहीं करे तथा मौजे की सन्ध्या बनावे
रहे। पत्रावली के अंतर्गत शुमार नंबर से अक्षर
होकर बाद तहसील दायित्व दफ्तर हो



मादेश। अतः इजलास मुनामा राम।
अधीनस्थ आयालय का अधिकार सम
निर्णय प्रति लौटाया जावे।


राजस्व अधिकारी
बनारस